



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन मवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / योबजट-49सी० / 2015- ७१ दिनांक : २२/६/१८

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा / सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार / सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा / सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका / सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वयित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्री उपयोजना) के अंतर्गत गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) के लिए कुल रु० 16.186 लाख (सोलह लाख अठारह हजार छः सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / योबजट-53 / 2015-53 / स्वी० व०प० दिनांक-24.08.2015 एवं वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / योबजट-53 / 2015-07 / आ० व०प० दिनांक 26.04.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु० 16.186 लाख (सोलह लाख अठारह हजार छः सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

| प्राथमिक इकाई | विपत्र कोड | (राशि लाख में) |
|---------------------|--------------------|----------------|
| मजदूरी | 19S240601796580103 | 13.769 |
| आपूर्ति एवं सामग्री | 19S240601796580323 | 2.417 |
| कुल :- | | 16.186 |

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी / वन संरक्षक होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या- पी० 19S240601796580103 तथा पी० 19S240601796580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत सुसंगत दिशा—निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. वन प्रमण्डलों द्वारा “स्थल विशेष प्राककलन” श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राककलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी जिसकी प्रमण्डलवार समेकित प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित किया जायेगा।

6. नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राककलन पर प्रदत तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथ एतद संबंधी पत्र—परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

10. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या—940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार

कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation संसमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी।

14. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का ऑकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0बजट-49सी0 / 2015- 791

दिनांक- 22/6/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग/ दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ संथाल परगना, दुमका/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0बजट-49सी0 / 2015- 791

दिनांक- 22/6/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, सिमडेगा/ लातेहार/ चाईबासा/ दुमका/ जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

**वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं
भू-संरक्षण” योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) कं अंतर्गत गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण
का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य**

| क्र० सं० | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी | भौतिक लक्ष्य (हे०) | वित्तीय लक्ष्य | | |
|-------------|--|-----------------------|----------------|------------------------|----------|
| | | | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल |
| | | | 9058.42 | 1590.00 | 10648.42 |
| i | ii | iii | iv | v | vi |
| 1 | सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा | 30 | 2.718 | 0.477 | 3.195 |
| 2 | सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार | 30 | 2.718 | 0.477 | 3.195 |
| 3 | सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा | 30 | 2.717 | 0.477 | 3.194 |
| 4 | सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका | 50 | 4.529 | 0.795 | 5.324 |
| 5 | सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर, जमशेदपुर | 12 | 1.087 | 0.191 | 1.278 |
| योग :- | | 152 | 13.769 | 2.417 | 16.186 |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, निकासी
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर प्रति हे0

योजना का नाम— भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना गैर-वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी0 x 2 मी0)

मजदूरी दर : 237.38 रु0 प्रति मानव दिवस

| क्र0 | कार्य का विवरणी | इकाई | मानव दिवस | मजदूरी (रु0 में) | सामग्री (रु0 में) | कुल व्यय (रु0 में) |
|--|-----------------------------------|------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| i | ii | iii | iv | v | vi | vii |
| (A) वित्तीय वर्ष 2018-19 में सम्पोषण कार्य (वार्षिक वर्ष) | | | | | | |
| 1 | एक कोडनी एवं निकौनी | हे0 | 23.00 | 5459.74 | 0.00 | 5459.74 |
| 2 | सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि) | | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 3 | पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक) | हे0 | 12.16 | 2886.54 | 0.00 | 2886.54 |
| | पौधों की सुरक्षा (30 हे0 से अधिक) | | | | | |
| 4 | मृत पौधों का प्रतिरक्षण | हे0 | 3.00 | 712.14 | 290.00 | 1002.14 |
| योग :- | | | 38.16 | 9058.42 | 1590.00 | 10648.42 |

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



गोपनीय सचिव

आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-49C/15/791

दिनांक -

22-Jun-2


| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|---|-----------|---|--|
| 1 | S 19 240601796580103 | 34698 | SDGAI002 SRI NIRANJAN PRASAD DEO DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA | 271,800.00 रुपये दो लाख इकहत्तर हजार आठ सौ |
| | 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | | | |
| 2 | S 19 240601796580103 | 34700 | LTRFOR004 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. SFD LATEHAR | 271,800.00 रुपये दो लाख इकहत्तर हजार आठ सौ |
| | 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | | | |
| 3 | S 19 240601796580103 | 34702 | SGHFOR001 SRI. LAXMI NATH BARAIK D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA | 271,700.00 रुपये दो लाख इकहत्तर हजार सात सौ |
| | 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | | | |
| | | | | 815,300.00 |

योग:

क्रमिक योग:

रुपये आठ लाख पंद्रह हजार तीन सौ

 (SHRI SATNAM SINGH)
 PCCF(DIVISIONAL CHIEF ACCOUNTANT) RANCHI

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|-------------|--|--|---|---|
| 4 | S 19 240601796580103 | 34703 | DMKFOR003 NAND KISHOR SHARMA (S.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA | 452,900.00 रुपये चार लाख बावन हजार नौ सौ |
| | 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | | | |
| 5 | S 19 240601796580103 | 34704 | JSRFOR116 SHASHI KUMAR D.F.O. S.E.DIV.ADITYAPUR JSR | 108,700.00 रुपये एक लाख आठ हजार सात सौ |
| | 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | | | |
| 6 | S 19 240601796580323 | 34705 | SDGAI002 SRI NIRANJAN PRASAD DEO DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA | 47,700.00 रुपये सैतालीस हजार सात सौ |
| | 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | | | |
| | | | | 609,300.00 |
| योग: | | | | 1,424,600.00 |
| क्रमिक योग: | रुपये चौदह लाख चौहस हजार छ: सौ |  | (SHRI SATNAM SINGH PCCF,D(BADAMKHANS)RANCHI | |


| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|-------------|---|-----------|---|----------------------------|
| 7 | S 19 240601796580323 | 34707 | LTRFOR004 | 47,700.00 |
| | 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme | | ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. SFD LATEHAR | रुपये सैतालीस हजार सात सौ |
| | | | | |
| 8 | S 19 240601796580323 | 34709 | SGHFOR001 | 47,700.00 |
| | 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme | | SRI. LAXMI NATH BARAIK D.F.O. SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA | रुपये सैतालीस हजार सात सौ |
| | | | | |
| 9 | S 19 240601796580323 | 34710 | DMKFOR003 | 79,500.00 |
| | 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme | | NAND KISHOR SHARMA (S.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA | रुपये उन्नासी हजार पौँच सौ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 174,900.00 |
| योग: | | | | 1,599,500.00 |
| क्रमिक योग: | रुपये पदह लाख निन्नानवे हजार पौँच सौ | | | |

(SHRI SATNAM SINGH)
 PCCF(DIBDHARKHANS)RANCHI

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|----------------------|-----------|--|--------------------------------------|
| 10 | S 19 240601796580323 | 34712 | JSRFOR116 SHASHI KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR. | 19,100.00 रुपये उन्नीस हजार एक सौ |

2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी
01 - वानिकी
796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
58 - अधिसूचित बन भूमि पर वृक्षांगोपण एवं भू-संरक्षण
03 - प्रशासनिक व्यय
23 - आपूर्ति एवं सामग्री
State Scheme

State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)
Central Scheme : NA



19,100.00

योगः

1,618,600.00

क्रमिक योगः

रुपये सौलह लाख अठारह हजार छ: सौ

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF,D(BADMARH(MTS)RANCHI)